प्रार्थी ने धारा 82 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रेफरेन्स में निवेदन किया है कि ग्राम कोठारिया तहसील नाथद्वारा में आराजी संख्या 1080 रकबा 01.01 बीघा स्थित है तथा उसके पास ही सटमा आराजी संख्या 1070 रकबा 00.07 बीघा दर्ज है जो राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 श्री धर्मवीर सिंह राजपूत एवं विपक्षी संख्या 02 श्री देवीलाल खटीक साकीन खातेदार दर्ज है। उक्त आराजी की किस्म पूर्व में राजस्व रेकार्ड में आराजी नम्बर 1080 जो कि नाडी दर्ज थी जो बाद में राजस्व रेकार्ड मे कांट–छांट कर मगरी बीड दर्ज कर दी गयी तथा राजस्व रेकार्ड सम्वत् 2024 सेटलमेन्ट नकल में भी विशेष विवरण में उक्त भूमि आराजी नम्बर 1079 एवं 1080 पाल नाडी पुख्ता एवं पेटा काश्त नहीं होते है का अंकन दर्ज कर रखा है फिर भी उक्त भूमि को कांट–छांट कर मगरी बीड दर्ज किया गया जो अवैध है। उक्त आराजी को नामान्तरण संख्या 925 दिनांक 14.03.2015 को रूपान्तरण से आराजी नम्बर 1080 रकबा 01.01.00 बीघा किस्म मगरी बीड के बजाय आवासीय कॉलोनी दर्ज करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त आराजी संख्या 1080 गांव कोठारिया पूर्व में राजस्व रेकार्ड मे नाडी दर्ज थी जिसे कांट–छांट कर मगरी बीड किया गया एवं तत्पश्चात आवासीय मे परिवर्तन कर दिया गया जो शुरू से ही अवैध है। विधि अनुसार एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तो से ऐसा करना विधि विपरीत है तथा माननीय उच्च न्यायालय के अब्दुल रहमान बनाम सरकार के फैसला अनुसार भी ऐसा करना ही शुन्य है तथा उक्त भूमि आवासीय मे रूपान्तरित मानी ही नहीं जा सकती है चुंकि उक्त आराजी संख्या 1080 जो शुरू से ही नाडी दर्ज थी। ग्राम पंचायत कोठारिया को एनीकट गहरा करने हेतु वित्तीय सहायता भी भूमि (नाडी हेतु दी गई) तथा उक्त आराजी पर भी वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिसका स्वीकृति आदेश कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) राजसमन्द के पत्रावली संख्या 14(2062) (अ.)रा./स्वी./सह./06/4392–401 के द्वारा दिनांक 18.05.2006 द्वारा पारित किया गया जिसमें गेवर माता एनिकट गहरा करने हेतु पारित किया गया जिसमें स्वीकृति आदेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अकाल राहत मस्टररोल सूची भी साथ संलग्न है। उक्त आराजी के पास ही आराजी संख्या 1079 किस्म पाल दर्ज है। वर्तमान मे उक्त आराजी नम्बर 1080 को विपक्षीगण ने मलबा डालकर पाट दिया है। अतः अवैधानिकता एवं अनियमितता करके उक्त भूमि आराजी संख्या 1080 रकबा 01.01 बीघा ग्राम कोठारिया का आवासीय मे परिवर्तन किया गया तथा नाडी किस्म हटाकर मगरी बीड दर्ज कर दिया गया है उसे निरस्त फरमाया जाकर रेकार्ड मे पुर्व स्थिति ''नाडी'' दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें तथा हेतु पत्रावली राजस्व मण्डल अजमेर को वास्ते अनुमोदन स्वीकृति भिजवाने का आदेश फरमाया जावें।

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स धारा 82 दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस सूचना दी गई। प्रार्थी के अधिवक्ता व अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता एवं राजकीय अधिवक्ता ने उपस्थिति दी हैं। अप्राथी संख्या 02 के अधिवक्ता द्वारा दिनांक 06.12.16 को जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रार्थना पत्र को अस्वीकार कर खारिज किये जाने योग्य होना अंकित किया है।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सूनी गयी। प्रार्थी के अधिवक्ता ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि ग्राम कोठारिया तहसील नाथद्वारा में आराजी संख्या 1080 रकबा 01.01 बीघा जो कि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 01 श्री धर्मवीर सिंह राजपूत एवं विपक्षी संख्या 02 श्री देवीलाल खटीक साकीन खातेदार दर्ज है, उक्त भूमि की किस्म पूर्व में राजस्व रेकार्ड में नाडी दर्ज थी जो बाद में राजस्व रेकार्ड मे कांट–छांट कर मगरी बीड दर्ज कर दी गयी तत्पश्चात आवासीय कॉलोनी में इस भूमि का रुपान्तरण कर दिया गया जो कि प्रारम्भ से ही अवैध है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय के अनुसार भी ऐसा करना ही शुन्य है तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सन् 1947 की स्थिति को पुनः बहाल किये जाने के आदेश जारी किये गये हैं। उक्त भूमि की मूलतः किस्म नाडी होने से भी उक्त फैसले के अनुसार आवासीय मे रूपान्तरित मानी ही नहीं जा सकती है क्योंकि उक्त आराजी संख्या 1080 जो शुरू से ही नाडी दर्ज थी। उक्त नाडी भूमि पर ग्राम पंचायत कोठारिया को एनीकट गहरा करने हेतु जिला कलेक्टर (सहायता) राजसमंद द्वारा दिनांक 18.05.2006 को स्वीकृति आदेश पारित किया गया जिसमें गेवर माता एनिकट गहरा करने हेतु पारित किया गया जिसके साथ स्वीकृति आदेश एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र तथा अकाल राहत मस्टररोल की सूची भी संलग्न है। उक्त आराजी के पास ही आराजी संख्या 1079 किस्म पाल दर्ज है। वर्तमान मे उक्त आराजी नम्बर 1080 को विपक्षीगण ने मलबा डालकर पाट दिया है। उक्त मामले की शिकायत सम्पर्क पोर्टल पर की गयी तो तहसीलदार, नाथद्वारा ने भी अपनी रिपोर्ट में आराजी संख्या 1080 को नाडी होना माना हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया जाकर अवैधानिकता एवं अनियमितता करके उक्त भूमि आराजी संख्या 1080 रकबा 01.01 बीघा ग्राम कोठारिया का आवासीय मे परिवर्तन किया गया तथा नाडी किस्म हटाकर मगरी बीड दर्ज कर दिया गया है उसे निरस्त फरमाया जाकर रेकार्ड मे पुर्व स्थिति ''नाडी'' दर्ज करने का आदेश फरमाया जावें तथा मामले में स्वीकृति हेतु राजस्व मण्डल में रेफरेंस का आदेश फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी ने बहस में बताया कि प्रार्थी को उक्त रेफरेंस प्रा0पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं हैं। रेफरेंस का प्रा0पत्र धारा 82 अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 में वर्णित प्रावधान के अनुसार केवल मात्र राज्य सरकार के भूमिधारक तहसीलदार को ही हैं अन्य को यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं। इस कारण से भी प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रा0पत्र चलने योग्य नहीं हैं। वादग्रस्त आराजी संख्या 1080 रकबा 01.01 बीघा भूमि अप्रार्थी सं0 2 की खातेदारी में रही हैं जिसका विधिवत रुपान्तरण श्रीमान् जिला कलक्टर,राजसमंद द्वारा आवासीय उपयोग हेतु किया जा चुका हैं तथा रुपान्तरण शुदा भूमि के भिन्न–भिन्न भूखण्ड बनाकर विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय किये जा चुके हैं। भूमि काश्त की भी नहीं रही हैं इसलिए भी रेफरेंस किये जाने योग्य नहीं हैं। भू–प्रबंध विभाग के खसरा पत्रक सम्वत 2024 के अनुसार उक्त आराजी संख्या 1080 के साबिक नम्बर 731 थे जिसकी किस्म में पेटा,नाडी अंकित होकर काट रखा हैं तथा कैफियत के कालम में पेटा काश्त नहीं होती हैं का अंकन हैं। किन्तु जमाबंदी सम्वत् 2021–24 में उक्त भूमि श्रीमति राणावत जी सा0 देह के नाम होकर किस्म मगरी दर्ज हैं। जबकि उक्त भूमि मेवाड़ सेटलमेंट के समय किस्म मगरी के रुप में दर्ज थी जिसकी पुष्टि मेवाड़ सेटलमेंट की नकल जमाबंदी सम्वत् 1991 एवं खसरा महत्वमा बन्दोबस्त जागीरात सम्वत् 1991 से होती हैं और उक्त अभिलेख पत्रावली पर पेश किया गया हैं। इस प्रकार यह प्रमाणित हैं कि उक्त आराजी संख्या 1080 सन् 1947 से पूर्व भी किस्म मगरी के रुप दर्ज थी। अतः रेफरेंस प्रा0पत्र खारिज किये जाने योग्य हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर गहन मनन विचार किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख से यह स्पष्ट प्रमाणित होता हैं कि वादग्रस्त आराजी संख्या 1080 मेवाड़ सेटलमेंट के समय से ही किस्म नाड़ी नहीं होकर तत्कालीन समय में किस्म मगरी दर्ज थी। उक्त रेफरेंस प्रा0पत्र धारा 82 अन्तर्गत राज0 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 में वर्णित प्रावधान के अनुसार प्रार्थी निगरानीकर्ता को कोई लोकस स्टेण्डाई नहीं हैं। उक्त धारा के अन्तर्गत यह अधिकारिता भूमिधारक तहसीलदार को प्रदत्त हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थी का रेफरेंस प्रा0पत्र स्वीकार योग्य होना नहीं पाया जाता हैं। किन्तु प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के द्वारा यह भी कथन किया गया कि उक्त भूमि के सम्बंध में सम्पर्क पोर्टल पर दर्ज कराये गये परिवाद संख्या 0816291868537 दिनांक: 04.08.2016 पर तहसीलदार, नाथद्वारा द्वारा की गयी जरिये पत्रांक: सम्पर्क/16/ दिनांक: निल के द्वारा की गयी रिपोर्ट में ''वर्तमान में मौके पर नाडी को समतल किया जाकर आवासीय कॉलोनी के भूखण्ड काट दिये गये हैं का तथ्य अंकित किया हैं।'' उक्त परिस्थिति में तहसीलदार,नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता हैं कि मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार उक्त भूमि के सम्बंध में विस्तृत जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेंस प्रा0पत्र को अस्वीकार कर निरस्त किया जाता हैं तथा तहसीलदार,नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता हैं कि मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णयानुसार उक्त भूमि के सम्बंध में विस्तृत जाँच कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करें।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांक: 11.07.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0सी0 बेरवाल)
जिला कलक्टर
राजसमंद